आ.प्र.क. 307/2022

शासन बनाम ओमप्रकाश दिलावर

Witness No. ....**03**... ... .For अभियोजन साक्षी Deposition taken the 05-03-2024 Day of **मंगलवार** .... Witness's apparent age **50** yrs Sates on affirmation शपथपूर्वक my name is..**गौरी बाई** . Son of shri **चंद्रकिशन** occupation....**गृहणी** Address-**ग्राम-करूमौहा, थाना-खरसिया, जिला-रायगढ़**

साक्ष्य प्रारंभ समय 03.00 पी.एम.

शपथपूर्वक कथन

1/ मैं न्यायालय उपस्थित आरोपी को नहीं पहचानती हूँ। मृतिका रमसिला को नाम से नहीं जानती हूँ।

2/ मुझे घटना की दिन, तारीख नहीं मालूम है। घटना दिनांक को मै। बाहर काम करने गयी थी। जब मैं आयी तो पता चला कि मेरे घर के पास किसी का एक्सीडेंट हो गया है। किसका एक्सीडेंट हुआ मुझे नही मालूल। मैंने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था।

टीप – इसी स्तर पर अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति चाही गई, बाद विचार अनुमति दी गई।

3/ यह कहना गलत है कि मैंने पुलिस बयान देते समय बताया था कि वाहन कं सीजी 11 सीके 8255 के चालक द्वारा उपेक्षावाही पूर्वक वाहन चलाकर मृतिका का एक्सीडेंट किया था। यह कहना गलत है कि मै न्यायालय मे सही बात नही बता रही हूँ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री जे. मिश्रा अधिवक्ता वास्ते आरोपी

4/ यह कहना सही है कि मैं घटना होते हुए नहीं देखी हूँ। यह कहना सही है कि क्या घटना हुआ था, मुझे नहीं मालूम। यह कहना सही है कि घ टना दिनांक को किसका एक्सीडेंट हुआ था, मैं नहीं जानती। मैं केवल सुनी थी कि मोहल्ले में किसी का एक्सीडेंट हुआ था।

5/ साक्षी को उसका पुलिस **प्रडी 3** का अ से अ का बयान ''मैं घर के सामने खड़ी थी.........ओमप्रकाश चला रहा था'' पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी द्वारा उक्त बयान देने से इंकार किया गया।

साक्ष्य समाप्ति समय 03.20 पी.एम.

वाचित, सत्य स्वीकृत	**मेरे निर्देशानुसार टंकित**
सही/– **(दीप्ती बरवा)** **मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी** **खरसिया, रायगढ़ (छ0ग0)**	**सही/–** **(दीप्ती बरवा)** **न्या.मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी** **खरसिया, रायगढ़ (छ0ग0)**

Witness No. ....**02...** ... .For अभियोजन साक्षी Deposition taken the 05–03–2024 Day of **मंगलवार** .... Witness's apparent age 47 yrs Sates on affirmation शपथपूर्वक my name is..**चंद्रकिशन लहरे** . Son of shri **बेदराम** occupation....**खेती** Address–**ग्राम–करूमौहा, थाना–खरसिया, जिला–रायगढ़**

साक्ष्य प्रारंभ समय 12.00 पी.एम.

<u>शपथपूर्वक कथन</u>

1/ मैं न्यायालय उपस्थित आरोपी को पहचानता हूॅ। मृतिका रमसिला को नाम से नहीं जानता हूॅ। वह फूलबंधिया के रहने वाली थी।

2/ घटना लगभग 1 डेढ़ साल पहले की थी। घटना दिनांक को मैं घर में सो रहा था, तभी हो–हल्ला की आवाज आयी। मैं घर से बाहर निकला, तो मैंने देखा मृतिका वहॉ घायल अवस्था में पड़ी थी। तभी एम्बूलेंस आयी और उसे ले गये। एक्सीडेंट कैसे हुआ था, मुझे नहीं मालूम। किस गाड़ी से हुआ था, वह भी नहीं मालूम। पुलिस वाले मेरा बयान नहीं लिये थे।

टीप – इसी स्तर पर अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति चाही गई, बाद विचार अनुमति दी गई।

3/ यह कहना गलत है कि मैंने पुलिस बयान देते समय बताया था कि वाहन क्रं सीजी 11 सीके 8255 के चालक द्वारा उपेक्षावाही पूर्वक वाहन चलाकर मृतिका का एक्सीडेंट किया था। यह कहना गलत है कि मै न्यायालय मे सही बात नही बता रहा हूॅ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री जे. मिश्रा अधिवक्ता वास्ते आरोपी</u>

4/ यह कहना सही है कि मैं घटना होते हुए नहीं देखा हूॅ। यह कहना सही है कि आरोपी मेरे पड़ोसी गॉव का है, इसलिये मैं उसे पहचानता हूॅ। यह कहना सही है कि मृतिका का एक्सीडेंट जिस गाड़ी से हुआ था, उसका नंबर मुझे नहीं मालूम एवं उक्त गाड़ी कौन चला रहा था, वह भी मैं नहीं जानता।

5/ साक्षी को उसका पुलिस **प्रडी 2** का अ से अ का बयान ''रोड में मोटर सायकल ....चोट आया'' पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी द्वारा उक्त बयान देने से इंकार किया गया।

साक्ष्य समाप्ति समय 12.20 पी.एम.

वाचित, सत्य स्वीकृत	**मेरे निर्देशानुसार टंकित**
सही/–	**सही/–**
(दीप्ती बरवा)	**(दीप्ती बरवा)**
मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	**न्या.मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी**
खरसिया, रायगढ़ (छ0ग0)	**खरसिया, रायगढ़ (छ0ग0)**